**कार्यालय, प्राचार्य, शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया**

पत्रांक- 258 / Voter ID / 2024-25 दिनांक- 29 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
जनपद- बलिया।

**विषय- अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- के संबंध में।**

**महोदय,**

दिनांक 28.10.2024 को जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैंठक में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जनपद में उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 01.01.2025 तक के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी छात्र/छात्राओं का 25.11.2024 तक शत प्रतिशत युवा मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड हेतु पंजीकरण कराया जाना है।

उक्त कार्य हेतु संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से नियत फार्म (फार्म संलग्न) प्राप्त किये जा सकते है, या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा Online आवेदन किया जा सकता है।

अतः अपने महाविद्यालय में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क की स्थापना करते हुए सभी पात्र छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Singh 29/10/24

(अमित कुमार सिंह)
प्राचार्य / नोडल अधिकारी
शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय
बलिया
प्राचार्य
शहीद मंगल पाण्डेय
राजकीय महिला महाविद्यालय
बलिया (उ०प्र०)

पृसं0/ 259-60 / 2024-25 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, बलिया।
2. कुलसचिव जन नायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बसन्तपुर, बलिया।

भवदीय

Singh 29/10/24

(अमित कुमार सिंह)
प्राचार्य
शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय,
बलिया
प्राचार्य
शहीद मंगल पाण्डेय
राजकीय महिला महाविद्यालय
बलिया (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

| क्र0 सं0 | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम | अधिसूचित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पदनाम | अधिसूचित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3– | 359–सिकन्दरपुर | उप जिलाधिकारी, सिकन्दरपुर। 9454417959 | 1. तहसीलदार, सिकन्दरपुर। 9454417967 |
| | | | 2. नायब तहसीलदार, मनियर। 6306905164 |
| | | | 3. नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर। 8009902351 |
| | | | 4. खण्ड विकास अधिकारी, नवानगर। 7275554518 |
| | | | 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवानगर। 7007810974 |
| 4– | 360–फेफना | अपर उप जिलाधिकारी, बलिया। 8574201291 | 1. तहसीलदार, बलिया। 9454417963 |
| | | | 2. नायब तहसीलदार, गड़वार। 9953018687 |
| | | | 3. नायब तहसीलदार, गड़हा। |
| | | | 4. खण्ड विकास अधिकारी, गड़वार। 9454464621 |
| | | | 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गड़वार। 6393392325 |
| 5– | 361–बलिया नगर | उप जिलाधिकारी, बलिया 9454417955 | 1. तहसीलदार (न्यायिक), बलिया। |
| | | | 2. चकबन्दी अधिकारी, सदर, बलिया। 7706982120 |
| | | | 3. नायब तहसीलदार, नगर, बलिया। 8960471154 |
| | | | 4. खण्ड विकास अधिकारी, हनुमानगंज। 7275554523 |
| | | | 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हनुमानगंज। 8354990100 |
| 6– | 362–बांसडीह | उप जिलाधिकारी, बांसडीह। 9454417956 | 1. तहसीलदार, बांसडीह। 9454417964 |
| | | | 2. नायब तहसीलदार, रेवती। 9554235906 |
| | | | 3. नायब तहसीलदार, बांसडीह। 9450573557 |
| | | | 4. खण्ड विकास अधिकारी, बांसडीह। 7275554528 |
| | | | 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बांसडीह। 9451617181 |
| 7– | 363–बैरिया | उप जिलाधिकारी, बैरिया। 9454417958 | 1. तहसीलदार, बैरिया। 9454417966 |
| | | | 2. नायब तहसीलदार, बैरिया। 6392676968 |
| | | | 3. नायब तहसीलदार, सुरेमनपुर। 8317029796 |
| | | | 4. खण्ड विकास अधिकारी, बैरिया। 7275554525 |
| | | | 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बैरिया। 7337713204 |

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का **विशेष** सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।

(4) प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष'** के रूप में स्थापित किया जायेगा, जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(5) युवा मतदाता सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहज रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) तथा वोटर सर्विस पोर्टल (Voter service portal) को प्रमोट किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित एवं संशोधन इत्यादि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

(6) जनपद के मतदाता सूची में जेण्डर रेशियो 851 तथा जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद का जेण्डर रेशियो 933 है। इस प्रकार मतदाता सूची में जेण्डर रेशियो (प्रति हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या) जनगणना के अनुसार 82 कम है। इससे स्पष्ट है कि मतदाता सूची में पात्र युवतियों का नाम औसत से कम अंकित है, जिसे वर्तमान पुनरीक्षण में बढ़ाये जाने के परिप्रेक्ष्य में अर्ह छात्राओं का नाम अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

(7) कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा अर्हता तिथि 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है।

(8) अन्य बिन्दु।

---



Scanned with CamScanner

**अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में अवस्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार, बलिया में दिनांक 28.10.2024 को अपराह्न 3.00 बजे से आहूत बैठक के संबंध में।**

1. अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम निर्धारित हैः–

| क्र0सं0 | कार्यो का विवरण | तिथियां |
|---|---|---|
| 1– | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन | 29–10–2024 (मंगलवार) |
| 2– | दावे/आपत्तियां दाखिल करने की अवधि | 29–10–2024 (मंगलवार) से 28–11–2024 (वृहस्पतिवार) तक |
| 3– | विशेष अभियान की तिथियां | 09–11–2024 (शनिवार)<br>10–11–2024 (रविवार)<br>23–11–2024 (शनिवार)<br>24–11–2024 (रविवार) |
| 4– | दावे और आपत्तियों का निस्तारण | 24–12–2024 (मंगलवार) तक |
| 5– | निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन | 06–01–2025 (सोमवार) को |

2. उपर्युक्तानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 से दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक 28.11.2024 तक की अवधि में अधिक से अधिक युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति के तहत निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी है–

(1) समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/**निजी स्नातक** एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक **'कोआर्डिनेटर'** एवं **'हेल्पडेस्क'** की स्थापना की जायेगी तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित किया जायेगा ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढ़ंग से फार्म भर सकें। अवगत कराना है कि प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म–6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करवाने हेतु फार्म–7 एवं निवास परिवर्तन/मतदाता सूची की प्रविष्टियों में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म–8 उपयोग में लाया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं को उक्तानुसार नियत फार्म–6, 7 व 8 के 5–5 फार्म नमूने के तौर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदन हेतु उक्त फार्मों की फोटो प्रतियां भी प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(2) संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया दिया जाए ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें। सुलभ संदर्भ हेतु विधान सभावार अधिसूचित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पदनाम व मो0नं0 का विवरण निम्नवत् है–

| क्र0 सं0 | निर्वचन क्षेत्र की संख्या व नाम | अधिसूचित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पदनाम | अधिसूचित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | 357–बेल्थरारोड (अ0जा0) | उप जिलाधिकारी बेल्थरारोड।<br>9454417960 | 1. तहसीलदार, बेल्थरा रोड। 9454417968<br>2. नायब तहसीलदार, सीयर। 8384024443<br>3. नायब तहसीलदार, भीमपुरा। 9628711310<br>4. खण्ड विकास अधिकारी, सीयर। 9454464614<br>5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सीयर। 7007992314 |
| 2– | 358–रसड़ा | उप जिलाधिकारी रसड़ा।<br>9454417957 | 1. तहसीलदार, रसड़ा।<br>2. नायब तहसीलदार, रसड़ा। 9454417961<br>3. नायब तहसीलदार, चिलकहर। 9919513751<br>4. खण्ड विकास अधिकारी, रसड़ा। 7275554519<br>5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रसड़ा। 8840390822 |



Scanned with CamScanner

प्ररूप 6
[नियम 13 (1) और 26 देखिए]
भारत निर्वाचन आयोग
नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र

प्ररूप संख्या
...............................
(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम सं. ☐ नाम..........

या संसदीय निवार्चन क्षेत्र की संख्या और नाम @ सं. ☐ नाम..........

(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधानसभा नहीं हैं)

मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ।

सफेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए अहस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.)की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान

(1) (क) नाम (राज्य की राज भाषा में)

प्रथम नाम, उसके पश्चात् मध्य नाम

उपनाम (यदि कोई हो)

(1)(ख) नाम (अंगेजी में, बड़े अक्षरो में)

प्रथम नाम, उसके पश्चात् मध्य नाम

उपनाम (यदि कोई हो)

अस्वीकरण : यदि नाम अंग्रेजी में नही भरा जाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यंतरण किया जाएगा।

* (2)(क) नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम (राज्य की राजभाषा में):–

☐ पिता या ☐ माता या ☐ पति या ☐ पत्नी या ☐ अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक/तृतीय लिंग की दशा में गुरु

(2)(ख) उपरोक्त उल्लिखित नातेदार का नाम और उपनाम (अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में)
*

(3) स्वयं की मोबाइल सं0 (यदि उपलब्ध है) (या)
मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार की मोबाइल सं0

(4) स्वयं का ई–मेल खाता (यदि उपलब्ध है) (या)
मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार का ई–मेल खाता

(5 ) आधार के ब्यौरे :– (समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)

(क) ☐ आधार सं0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ या

(ख) ☐ मैं आधार सं0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योकिं मेरे पास अधार संख्या नहीं है।

(6) लिंग ☐ पुरूष ☐ स्त्री ☐ तृतीय लिंग

(7)(क) जन्म तारीख | ता | ता | / | मा | मा | / | व | व | व | व |

(खा) आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्व:प्रमाणित प्रति संलग्न है। (निम्नलिखित में से कोई एक)

(i) जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज :– (इनमें से कोई एक)

1. ☐ सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण/जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
2. ☐ आधार कार्ड 3. ☐ पैन कार्ड 4. ☐ चालन अनुज्ञप्ति
5. ☐ सीबीएसई /आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 6. ☐ भारतीय पासपोर्ट

Scanned with CamScanner

या कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतविष्ट है।

(ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :– (यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नही हो) (कृपया विनिर्दिष्ट करें )..........................................

| | | |
|---|---|---|
| (8) (क) वर्तमान साधारण निवास (पूरा पता) | मकान/भवन/अपार्टमेंट सं0 | गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/रोड |
| | नगर/गांव | डाक घर |
| | पिन कोड | तहसील/तालुका/मंडल |
| | जिला | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र |

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता–पिता/पति–पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज :– (इनमें से कोई एक )

1. ☐ उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष)
2. ☐ आधार कार्ड
3. ☐ राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पासबुक
4. ☐ भारतीय पासपोर्ट
5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है
6. ☐ रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
7. ☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :–

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें) #

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलित्र ☐ दृष्टि ☐ मूक–बधिर यदि कोई और हो (वर्णन करें)

________________ दिव्यांगता का प्रतिशत ☐ % प्रमाण पत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएं) ☐ हाँ ☐ नही

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं, के ब्यौरे निम्नानुसा

परिवार के सदस्य नाम.............................................. आवेदक के साथ सम्बन्ध..............................................

उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं0 : ..............................................................

## घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार

(i) मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान है:–..............................................................ग्राम/शहर..............................................

जिला.........................................................राज्य/संघ राज्यक्षेत्र..............................................................

(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8 (क) मे दिए गए पते वाले स्थान में..................................(मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ।

(iii) मे निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैने आयु सबूत के समर्थन में ............ ..........................(दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)

(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य विश्वास नहीं करता/करती हूं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या से या दानों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख..................................................

स्थान.................................................. आवेदन के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश:– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगन अधिकार नियम 2017 के उपबंधो के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिषक घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक का या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण–

| | |
|---|---|
| * | विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए। |
| ^ | उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा। |
| # | उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन्न आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिको, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा है,लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नही है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदभिहित करेगा। |

## आवेदन के लिए स्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति संख्या..............................................................................................तारीख..............................................

श्री/श्रीमती/सुश्री..............................................................................का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

(आवेदक, आवेदन की प्रस्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।)

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

# प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **सामान्य अनुदेश:-**

क) आवेदन, ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) /संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा

(ख) आवेदक, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।

(ग) किसी शांत स्टेशन पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो।

*(घ) फोटो: सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखे खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी): ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

2. **<u>मद (1)* (नाम)</u>:** सही नाम और वर्तनी, राज्य की राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वतः ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रुटियां हो सकती है।

3. **<u>मद (2क) और मद (2ख) *(नातेदार का नाम और उपनाम)</u> :** विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानतः उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा। (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)

4. **<u>मद (5) आधार के ब्यौरे</u>** : प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।

5. **<u>मद (6) (लिंग)</u>** :

*(क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरुष'/'स्त्री'/'तृतीय लिंग' चिन्हित किया जाना चाहिए।

(ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक, अपने लिंग को 'पुरूष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

6. **<u>मद (7) (क) (ख) (जन्म तारीख)</u>**:

*(क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।

(ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद 7 (ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

7. **<u>मद (8) (वर्तमान साधारण निवास)</u>** :

*(क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक / माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वाले गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों ।

(ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहां वे साधारणतया निवास करते है, नामांकन करा सकते हैं।

8. **<u>*घोषणा</u>** : "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।

**<u>"कृपया ध्यान दे कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा"।</u>**

Scanned with CamScanner